B.A. III Pol.Sc Paper-8th

मंत्रिमंडल मिशन
(Cabinet Mission)

मई 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ। विश्वयुद्ध के समाप्ति के बाद भारतीय राजनीति में एक नया युग आरंभ हुआ। इंगलैंड में नया चुनाव हुआ जिसमें मजदूर दल की विजय हुई एटली प्रधानमंत्री हुए। मजदूर दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मजदूर दल की सरकार बनने पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा। मजदूर दल की सरकार ने कार्यभार संभालते ही भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की दिशा में कदम उठाया। भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने एक घोषणा में बताया कि ब्रिटिश सरकार एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजेगी जो भारतीय नेताओं से भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार-विमर्श करेगा। भारत के वायसराय ने बताया कि मिशन में भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए॰ वी॰ अलेक्जेंडर होंगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने पहली बार भारतीयों की स्वतंत्रता संबंधी माँग को अधिकार के रूप में स्वीकार किया था। भारतीयों को आत्मनिर्णय एवं संविधान निर्माण करने के अधिकार की स्वीकृति भी दी गई थी। इस घोषणा से भारतीयों में आशा का संचार हुआ क्योंकि वे समझ गए कि स्वतंत्रता अब अधिक दूर नहीं है।

13 मार्च 1946 को मंत्रिमंडल कराची पहुँचा और दूसरे दिन दिल्ली आया। इस मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि हम भारत में सत्ता सौंपने के उपाय की खोज में आये हैं।

मिशन ने अपना काम तुरंत शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं से बातचीत की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों पर ध्यान दिया गया। अंत में, शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका।

मंत्रिमंडल ने स्वयं ही इस योजना का निर्माण किया जिसे "मंत्रिमंडल मिशन" योजना कहते हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री एटली ने इस योजना की घोषणा 16 मई 1946 को कॉमन सभा में की।

शिमला का त्रिदलीय सम्मेलन :— कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो पाने तब मिशन ने शिमला में एक समझौता सम्मेलन बुलाया। इसमें कॉंग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, लीग की ओर से जिन्ना, इस्लाम खाँ और लियाकत अली खाँ तथा मिशन की ओर से इसके तीन सदस्यों ने वार्तालाप में भाग लिया। 5 मई 1946 को सम्मेलन शुरू हुआ। मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की जो निम्नांकित सिद्धान्तों पर आधारित थी।

1. संघ शासन की स्थापना
2. प्रांतो का स्वायत्त शासन
3. अवशिष्ट अधिकारों का प्रांतो में निहित होना
4. प्रांतो का दो भागों में विभाजन

सम्मेलन 11 मई तक चलता रहा लेकिन मुस्लिम लीग के हठ धर्म के कारण सम्मेलन असफल रहा। अंत में कैबिनेट मिशन ने अपने द्वारा तैयार योजना प्रस्तुत की।

मंत्रिमंडल मिशन योजना की मुख्य बातें :— मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना की मुख्य बातें मुख्य रूप में थी।

(i) भारत में एक संघ सरकार की स्थापना हो। इसमें भारत के समस्त प्रांत तथा देशी राज सम्मिलित होंगें। प्रांतो को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। केवल वैदेशिक संबंध, रक्षा और यातायात को केंद्र के अधीन रखा जाएगा।

(ii) संघ सरकार में प्रांतो तथा देशी राज्यों के सदस्य सम्मिलित होंगे। इसकी कार्यकारिणी में तथा विधानसभाओं में दोनो के प्रतिनिधि को स्थान दिया जायेगा। महत्वपूर्ण सांप्रदायिक विषयों पर दोनों प्रमुख समुदायों (हिंदू और मुसलमान) के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होगा।

(iii) अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Power) पर प्रांतो का अधिकार होगा।

Scanned with CamScanner

(iv) देशी राज्यों के अधिकारों में वे समस्त विषय सुरक्षित होंगे जो उन्होंने भारतीय संघ को अर्पित न किया हो।

(v) प्रांतों को आपस में मिल-जुलकर शासन-संबंधी समुदाय बनाने का अधिकार होगा, यह समुदाय सामूहिक विषयों की देखरेख करेगा।

(vi) इस योजना के अन्तर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा (Constituent Assembly) की व्यवस्था की गई है। इसमें भारत के प्रांतों के सदस्यों की संख्या 292 तथा चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के सदस्यों की 4 निर्धारित की गयी थी। सम्प्रदाय के आधार पर गैर मुस्लिम 210, मुसलमान 78 सिख 4 और चीफ कमीशनर के प्रतिनिधि 4। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जायेगा। इस प्रकार विधानसभा के निर्माण के लिए निम्नलिखित आधार निश्चित किए गए।

(क) प्रत्येक प्रांत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर

(ख) प्रत्येक प्रांत के सदस्यों का जनसंख्या के आधार पर विभिन्न सम्प्रदायों में विभाजन

(ग) प्रतिनिधियों का प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन, यह भी निश्चित किया गया कि संविधान सभा के निर्वाचन के बाद प्रांतों को तीन वर्गों में बांटा जाएगा-क, ख, और ग।

(vii) यह भी व्यवस्था की गई की जब तक संविधानसभा ने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक के लिए देश में एक अंतरिम सरकार (Interim Government) की स्थापना की जायेगी। सरकार में युद्ध-विभाग सहित अन्य सभी विभाग जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहेंगे। ब्रिटिश सरकार प्रशासकीय मामलों में अंतरिम सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करेगी और सत्ता का हस्तांतरण जल्द से जल्द सुविधापूर्वक करेगी।

(viii) देशी राज्यों को संविधान-निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वभौम प्रभुता का अधिकार (Paramountcy) उन्हीं रियासतों को हस्तांतरित कर देगी। देशी राज्यों का यह अधिकार होगा कि वे भारतीय सरकार के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करें या स्वतंत्र बने रहें।

Scanned with CamScanner

योजना का मूल्यांकन :— कैबिनेट योजना के प्रस्ताव पर मिश्रित प्रक्रिया हुई लेकिन अधिकांश नेताओं ने इसका स्वागत किया। गांधीजी ने कहा था तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत मिशन योजना की स्वीकृति भारतीय स्वतंत्रता- आंदोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण घटना है। मौलाना आजाद ने कहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा मिशन योजना की स्वीकृति भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण घटना है। इसका अभिप्राय है कि भारतीय स्वतंत्रता के कठिन प्रश्न का निर्णय वार्ता और समझौता से हुआ है न कि हिंसा और विवाद से। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कैबिनेट मिशन योजना का भारतीय संविधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

अनेक अच्छाइयों के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना में निम्नलिखित दोष थे।

(i) कैबिनेट मिशन योजना कमजोर केन्द्र की स्थापना करता था। केन्द्र सरकार के हाथ में केवल तीन विषय रखे गये थे। प्रशासनिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई अनेक विषयों को प्रांतों के हाथों दिया गया था। जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, योजनाकरण मुद्रा सिक्के आदि।

(ii) प्रांतों की स्वायत्तता को इस योजना ने धक्का पहुँचाया था।

(iii) ग्रुप फॉर्मूला के बारे में योजना की भाषा अस्पष्ट थी।

(iv) संविधान निर्माण का आधार अतार्किक था। पहले प्रांतों और उनके ग्रुपों की कार्य सभाएँ संविधान का निर्माण करतीं और तब संघ सरकार के संविधान का निर्माण होता।

(v) कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव सिक्खों के हितों के विरुद्ध था। किसी भी वर्ग के प्रांतों में उनके हितों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी, उन्हें मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया था।

(vi) अंतरिम सरकार के समय के संबंध में योजना चुप थी। भय था कि सत्ता के हस्तांतरण में अनिश्चित काल तक देरी की जायेगी।

(vii) योजना को पूरी तरह से स्वीकृत किया जाता या पूर्णतः अस्वीकृत यह योजना का बहुत बड़ा दोष था।

Scanned with CamScanner

(viii) अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग को पाँच तथा कांग्रेस को छह। राष्ट्रवादी मुसलमानों को कोई मान्यता नहीं दी गई। इसी कारण कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया

(X) हिन्दु महासभा की कार्यकारिणी समिति इस योजना का घोर विरोध किया। वस्तुतः इसके द्वारा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लिया गया था। उन्हे भय था कि पंजाब बंगाल, असम, सिंध और उत्तर-पश्चिमी प्रांत के हिन्दु तथा सिख समुदाय पाकिस्तान की दया पर आश्रित रहेंगे। इसने प्रांतो के वर्गीकरण योजना का घोर विरोध किया।

इस प्रकार प्रमुख आलोचनाओं के बावजूद मुस्लिम लीग ने मंत्रिमण्डल मिशन योजना को 6 जून 1946 को अपनी स्वीकृति दे दी। कांग्रेस ने 14 जून 1946 को दीर्घ-कालिक प्रस्तावों को स्वीकार कर संविधान सभा में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अल्पकालिक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और अंतरिम सरकार में भाग लेने का निर्णय किया। वह राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सरकार में स्थान देने के लिए कटिबद्ध थी।

Scanned with CamScanner